न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/246 दायर दिनांक 01.09.2017

वादी		प्रतिवादी
1. दिलीपसिंह पुत्र नाथूसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—मामडोदा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत
राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा— 136 R.T.Act.

उपस्थित :—

1. श्री भैरोसिंह शेखावत व श्री नागपालसिंह राठौड़, अधिवक्तागण, वादी की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 20.09.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, खेत खसरा नम्बर 225 रकबा 11.16 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246 रकबा 16 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246/287 रकबा 22.17 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246/288 रकबा 08.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 246/289 रकबा 08.08 बीघा, कुल खसरान् 05 व रकबा 68.13 बीघा वाकै शरहद मामड़ोदा हैं। इन खसरान् की खातेदारी में देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह से संयुक्त खातेदारी में वादी का नाम दर्ज है। नकल पेश है।

वाद वर्णित खसरान् भूमि, वादी व उसके कुटुम्बिक सदस्यों की पैतृक कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जो कि पहले वादी के पूर्वजों के नाम से खातेदारी में अंकित रही पूर्वजों के फौत होने पर उनके जायज उत्तराधिकारी व वारीशान् के नाम जरिये फौतगी नामान्तरकरण के खातेदारी में अंकित हुई।

वादी का वास्तविक नाम दिलीपसिंह पुत्र नाथूसिंह राजपूत निवासी मामड़ोदा है। यही नाम वादी के पारिवारिक राशन कार्ड में अंकित है यही नाम वादी के मतदाता पहचान—पत्र में अकित है। दस्तावेजात् की फोटो प्रतियाँ पेश है।

वाद वर्णित खसरान् की भूमि की खातेदारी में वादी का नाम दिलीपसिंह पुत्र नाथूसिंह के बजाये देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह अंकित किया हुआ है जिसकी जानकारी वादी को नकल खतौनी लेने पर दिनाँक 20.07.2017 को हुई।

—2

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/246
दायर दिनांक 01.09.2017, निर्णय दिनांक 20.09.2017
दिलीपसिंह बनाम् तहसीलदार।

देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह नाम खातेदारी में कतई गलत अंकित हुआ है इस नाम का कोई व्यक्ति न तो पहले मामड़ोदा ग्राम में था और न वर्तमान में है, यह नाम वादी के नाम के बजाये कतई गलत अंकित हुआ है। इससे वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये हैं। गलत अंकित नाम को दुरस्त करवाकर अपना सही नाम खातेदारी में अंकित कराने का कानूनी तौर पर हकदार है। अतः वादी को यह दावा करना लाजमी हुआ।

बिनाय दावा सरकारी सहायता लेने के लिए दिनाँक 20.07. 2017 को नकुलात् खतौनी प्राप्त करने पर उनमें वादी का नाम बजाये दिलीपसिंह पुत्र नाथूसिंह के स्थान पर देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह अंकित होने की जानकारी होने से अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद मामड़ोदा में खेत खसरा नम्बर 225 रकबा 11.16 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246 रकबा 16 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246/287 रकबा 22.17 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246/288 रकबा 08.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 246/289 रकबा 08.08 बीघा, कुल खसरान् 05 रकबा 68.13 बीघा की खातेदारी में वादी का नाम जो देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह गलत दर्ज है, को दुरस्त करवाकर इसके स्थान पर वादी का नाम खातेदारी में दिलीपसिंह पुत्र नाथूसिंह अंकित करवाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी (प्रतिलिपि) ग्राम मामड़ोदा सम्वत् 2071–2074 खेवट 94/104 खसरा संख्या 225 की, जमाबन्दी (प्रतिलिपि) ग्राम मामड़ोदा सम्वत् 2071–2074 खेवट 95/105 खसरा संख्या 246, 246/287, 246/288 व 246/289 की, ग्रामपंचायत मामड़ोदा का प्रमाण–पत्र, परिवार राशन–कार्ड संख्या 02432 नगर निगम जोधपुर की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग संख्या KFH/2029643 की छायाप्रति, आधार संख्या 3709 6770 4538 की छायाप्रति वाद संलग्न पेश है।

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकार की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। विद्वान अधिवक्तागण वादी, दावानुसार दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया।

वादग्रस्त खसरान् की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम "देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह" दर्ज है। वादी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् में वादी का नाम "दिलीपसिंह पुत्र नाथूसिंह" दर्ज है। वादग्रस्त वादी की खातेदारी की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम व वादी के अन्य दस्तावेजात् में दर्ज नाम में अन्तर है व दौनों रिकॉर्ड एक ही व्यक्ति से सम्बन्धित है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी का नाम "देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह" के स्थान पर "दिलीपसिंह पुत्र नाथूसिंह" दुरस्त किया जाना, हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 246
दायर दिनांक 01.09.2017, निणर्य दिनांक 20.09.2017
दिलीपसिंह बनाम् तहसीलदार।

चूँकि वादी के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है , अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद मामड़ोदा में खेत खसरा नम्बर 225 रकबा 11.16 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246 रकबा 16 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246 / 287 रकबा 22.17 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246 / 288 रकबा 08.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 246 / 289 रकबा 08.08 बीघा, में वादी का नाम वर्तमान में अंकन ''देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह'' के स्थान पर ''दिलीपसिंह पुत्र नाथूसिंह'' दुरस्त किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **20.09.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/246 दायर दिनांक 01.09.2017

वादी		प्रतिवादी
1. दिलीपसिंह पुत्र नाथूसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

दिनांक 20.09.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री भैरोसिंह शेखावत व श्री नागपालसिंह राठौड़, अधिवक्तागण, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद मामड़ोदा में खेत खसरा नम्बर 225 रकबा 11.16 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246 रकबा 16 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246/287 रकबा 22.17 बीघा, खेत खसरा नम्बर 246/288 रकबा 08.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 246/289 रकबा 08.08 बीघा, में वादी का नाम वर्तमान में अंकन "देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह" के स्थान पर "दिलीपसिंह पुत्र नाथूसिंह" दुरस्त किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 20.09.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner